25-7-19	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26-7-19 को पेश हो। रीडर	
26-7-19	वकील वादी उप०। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रा० दि० 9-8-19 को पेश हो।	
9-8-19	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9-9-19 को पेश हो। रीडर	
9-9-19	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7-10-19 को पेश हो। रीडर	
7-10-19	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13-11-19 को पेश हो। रीडर	
13-11-19	वकील वादी उप०। पुनः बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 25-11-19 को पेश हो।	
25-11-19	वकील वादी उप०। राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

निर्णय न्यायालय
कलेक्टर एवं उप
मुकदमा नम्बर
88 / 2016
1. श्रीमती विमली
तह0 गंगापुर सिटी
2. श्रीमती भौरी
राजपूत निवासी
3. श्रीमती सुनी
निवासी बाढ़

न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीणा, आर0ए0एस0, उप जिला
कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
[illegible]/2016	8.9.2016	25-1-2019

1. श्रीमती विमली देवी पत्नी स्व0 रणजीत सिंह, जाति राजपूत निवासी छाबा तह0 गंगापुर सिटी
2. श्रीमती भौरी बाई पत्नी जगदीश सिंह पुत्री स्व0 रणजीत सिंह, जाति राजपूत निवासी लावडी का बास तह0 लालसोट
3. श्रीमती सुनीता पत्नी विजेन्द्र सिह पुत्री स्व0 रणजीत सिंह, जाति राजपूत निवासी बाढ विचला तह0 गंगापुर सिटी —वादीगण

बनाम

1. चवंरसिंह पुत्र स्व0 रणजीत सिंह, जाति राजपूत निवासी छाबा तह0 गंगापुर सिटी
2. सुल्तानसिंह पुत्र स्व0 रणजीत सिंह, जाति राजपूत निवासी छाबा तह0 गंगापुर सिटी
3. सुनीलसिंह पुत्र स्व0 रणजीत सिंह, जाति राजपूत निवासी छाबा तह0 गंगापुर सिटी
4. रणवीरसिंह पुत्र चौरसिंह (चंवरसिंह), जाति राजपूत निवासी छाबा तह0 गंगापुर सिटी
5. बलबीरसिंह पुत्र चौरसिंह (चंवरसिंह), जाति राजपूत निवासी छाबा तह0 गंगापुर सिटी
6. हरिसिंह पुत्र पुत्र चौरसिंह (चंवरसिंह), जाति राजपूत निवासी छाबा तह0 गंगापुर सिटी
7. उपपंजीयन अधिकारी तहसीलदार गंगापुर सिटी
8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री कुश मंगल, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री राजेश कुमार वर्मा, एड0, प्रतिवादी न0 1 व 3 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के भाई तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व वादी संख्या 2 व 3 के पिता व वादिया संख्या 1 के पति स्व0 श्री रणजीत सिंह खास भाई थे। जिनका स्वर्गवास लगभग 15 वर्ष पूर्व हो चुका है। भूमि ख0न0 477/969 रकबा 0.40 है0, ख0न0 491 रकबा 1.41 है0, ख0न0 492 रकबा 0.25 है0, ख0न0 493 रकबा 0.63 है0, ख0न0 748 रकबा 0.32 है0, ख0न0 749 रकबा 0.28 है0, ख0न0 477/952 रकबा 0.50 है0, ख0न0 743 रकबा 1.50 है0, ख0न0 744/955 रकबा 0.25 है0, ख0न0 745 रकबा 2.30 है0, ख0न0 747/954 रकबा 0.27 है0, ख0न0 749/953 रकबा 0.45 है0, ख0न0 749/964 रकबा 0.12 है0, ख0न0 750 रकबा 0.79 है0, ख0न0 742 रकबा

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

1.55 है0 एवं ख0न0 742/921 रकबा 0.02 है0 कुल रकबा 11.04 है0 ग्राम छाबा मे स्थित है। इसमे स्व. रणजीत सिंह का 1/4 हिस्सा था। जो उनके नाम आना चाहिए था जो वादिया संख्या 2 व 3 का नाम आराजीयात मे अंकित नही किया है। जो कानूनन है। भूमि का अभी विभाजन नही हुआ है। भूमि पैतृक एवं संयुक्त खातेदारी की है। रणजीत सिंह का निधन होने के बाद उनके वारिस के रूप मे वादिया संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्व. रणजीत सिंह मे आराजियात मे 1/4 हिस्से का नामान्तकरण खुला लिया। जबकि वादिया संख्या 2 व 3 स्व0 रणजीत सिंह की जायज पुत्रीया है। भूमि मे वादिया संख्या 2 व 3 का 1/6 हिस्सा हेाना चाहिए। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 लगभग 20 वर्षो से जयपुर मे निवास करते है। रणजीत सिंह के निधन के बाद वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व अन्य ने पगडी रस्म अदायगी के बाद यह बैठकर तय किया कि रणजीत सिंह की आराजी का नामान्तकरण जब ही खुलेगा आपको बुला लेगें और काश्त तो प्रतिवादी संख्या 4 की करता है। जिस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने हिस्से की उपज लेते है। उसी प्रकार वादिया संख्या 2 व 3 भी 1/6, 1/6 हिस्से की उपज से लाभान्वित होते रहेगे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मन मे बदयांति आ गई है और वह विरासत के नामान्तकरण के आधार पर रणजीत सिंह की 1/2 भूमि तथा मॉ को भी बहकाकर 1/3 हिस्से की भूमि का बेचान करने पर उतारू है। दिनांक 3.9.2016 को ग्राम महुकला के चार पॉच गुर्जर भूमि की देखभाल करने आये, उन्होने वादी संख्या 4 से जमीन खरीदने और कोई उज्र होने बाबत पूछा तब जाकर जमीन विक्रय करने का इल्म हुआ। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र प्रतिवादीगण के विरुद्ध मय खर्चा डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे भूमि ख0न0 477/969 रकबा 0.40 है0, ख0न0 491 रकबा 1.41 है0, ख0न0 492 रकबा 0.25 है0, ख0न0 493 रकबा 0.63 है0, ख0न0 748 रकबा 0.32 है0, ख0न0 749 रकबा 0.28 है0, ख0न0 477/952 रकबा 0.50 है0, ख0न0 743 रकबा 1.50 है0, ख0न0 744/955 रकबा 0.25 है0, ख0न0 745 रकबा 2.30 है0, ख0न0 747/954 रकबा 0.27 है0, ख0न0 749/953 रकबा 0.45 है0, ख0न0 749/964 रकबा 0.12 है0, ख0न0 750 रकबा 0.79 है0, ख0न0 742 रकबा 1.55 है0 एवं ख0न0 742/921 रकबा 0.02 है0 कुल रकबा 11.04 है0 ग्राम छाबा को किसी दीगर व्यक्ति को हस्तान्तरित नही करे और न ही किसी अन्य से करावे। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को पाबंद किया जावे कि वे उपरोक्त वर्णित आराजीयात के संदर्भ मे प्रस्तुत होने वाले किसी विक्रय अभिलेख, हस्तान्तरण अभिलेख आदि का पंजीयन नही करे, वादिया संख्या 2 व 3 का रणजीतसिंह की विरासत आराजी मे 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज किया जाकर उक्त आराजीयात का विभाजन किया जावे एवं इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

पाबंद करवाया जावे कि वे उक्त आराजीयात के उपयोग व उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं पैदा करे और ना ही किसी अन्य से करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी नं0 3, 5, 7, 8 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

दिनांक 18.7.2019 को वादीगण विमला देवी, भौरीबाई, सुनीता व प्रतिवादीगण भंवरसिंह, सुनील सिंह, कृष्णकंवर ने न्यायालय मे उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। जो तस्दीक किया जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया।

राजीनामे मे पक्षकारो ने अंकित किया है कि सुल्तानसिंह पुत्र स्व0 रणजीत सिंह 12–14 वर्षो से घर से लापता है। इसलिए राजीनामा उनकी पत्नी कृष्णाकंवर द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। भूमि ख0न0 477/969 रकबा 0.40 है0, ख0न0 491 रकबा 1.41 है0, ख0न0 492 रकबा 0.25 है0, ख0न0 493 रकबा 0.63 है0, ख0न0 748 रकबा 0.32 है0, ख0न0 749 रकबा 0.28 है0, ख0न0 477/952 रकबा 0.50 है0, ख0न0 743 रकबा 1.50 है0, ख0न0 744/955 रकबा 0.25 है0, ख0न0 745 रकबा 2.30 है0, ख0न0 747/954 रकबा 0.27 है0, ख0न0 749/953 रकबा 0.45 है0, ख0न0 748/964 रकबा 0.12 है0, ख0न0 750 रकबा 0.79 है0, ख0न0 742 रकबा 1.55 है0 एवं ख0न0 742/921 रकबा 0.02 है0 कुल रकबा 11.04 है0 ग्राम जाबा मे स्व0 श्री रणजीतसिंह के निधन के बाद उनकी आराजीयात का नामान्तकरण उनकी बेबा तथा तीनो पुत्रो के नाम खोल दिया गया था जबकि उनकी दोनो पुत्रीयो के नाम नामान्तकरण नही खोला गया। सभी प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष उक्त सम्पूर्ण आराजीयात मे पूर्व के 1/4–1/4 हिस्से के बजाया 1/6 – 1/6 हिस्से पर सहमत हुए है। जिसमे हम सभी का विमला देवी का 1/6 हिस्सा, उनकी पुत्रीया भौरी बाई व सुनीता का 1/6, 1/6 हिस्सा, उनके पुत्र भंवरसिंह, सुल्तानसिंह, सुनील सिंह का 1/6, 1/6, 1/6 हिस्सा रहेगा। उभयपक्षकारान के मध्य विचाराधीन प्रकरण न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी उनवानी विमला देवी वगेरा बनाम भंवरसिह वगैरा मे रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने का आदेश यथावत रहेगा। राजीनामा के सभी पक्षकार राजीनामा अनुसार नामान्तकरण खुलने तक उक्त खसरा नम्बरो के रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखेगें। स्व0 रणजीतसिंह की दोनो पुत्रीया अपने अपने हिस्से को कभी भी अन्य अथवा शेष उभयपक्ष के हिस्से मे हस्तानान्तरण नही करेगे तथा द्वितीय पक्ष उक्त आराजीयात पर काबिज रहकर उनके भात जामने आदि कार्यो को करेगें। द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त कार्य मे चूक करने पर दोनो पुत्रीयो को अपने अपने हिस्से को हस्तानान्तरण करने का अधिकार होगा। इसी प्रकार दावा डिक्री करवा कर हल्का पटवारी से विभाजन स्कीम मंगवाई जाकर नामान्तकरण 1/6 – 1/6

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

हिस्से का खोला जावे एवं सुल्तानसिंह के हिस्से की भूमि का नामान्तकरण उसकी पत्नी कृष्णा कंवर के नाम खोला जावे।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 बाबत खाता संख्या 114, 115, 113, 285 ग्राम छाबा प्रस्तुत किये है।

जबाब दावा के समर्थन में प्रतिवादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2059 से 2062 खाता वादी कलुआ, खाता प्रतिवादी रामसहाय वगैरा, खाता मुनीम वगैरा, खाता राजकीय भूमि चरागाह, नकल जमाबंदी सं0 2028 से 2031 खाता परभाती, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल हाल नक्शा ट्रेस,नकल साबिक नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए हैं।

वादीगण की ओर से दिनांक 18.7.2019 को एक प्रार्थना पत्र तहत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर दावे मे खसरा नम्बर 749 रकबा 0.28 है0 ग्राम छाबा का इन्द्राज रहने के कारण इसे और जोडने का निवेदन किया है। इसी प्रकार दिनांक 26.7.19 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करने का निवेदन किया है।

बहस विद्धान वकील वादीगण सुनी गई।

वादीगण के विद्धान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए राजीनामे अनुसार वादीगण का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदियो के अनुसार वादग्रस्त भूमि मे रणजीतसिंह के वारिसो के रूप मे वादिया श्रीमती विमला देवी, प्रतिवादी नवलसिंह, सुल्तानसिंह, सुनीलसिंह का नाम भूमि खातेदार के रूप मे दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 भूमि मे सहखातेदार के रूप मे दर्ज है। राजीनामे अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने रणजीत सिंह की भूमि मे वादी संख्या 2 व 3 का हिस्सा भी दर्ज करने का निवेदन किया है क्योकि वादी संख्या 2 व 3 रणजीत सिंह की पुत्रीया है। वादीगण ने दिनांक 18.7.19 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद मे ख0न0 749 को जोडने एवं दिनांक 26.7.19 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया है। वादीगण के उपरोक्त दोनो प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते है। वादीगण संख्या 1, 2 व 3 तथा प्रतिवादी संख्या 1,2 व 3 स्व0 रणजीतसिंह के वारिस है। पूर्व मे वादी संख्या 2 व 3 का नाम रणजीतसिंह की भूमि की खातेदारी मे नही आया है। अतः अब इन्हे राजीनामे अनुसार भूमि मे खातेदार के रूप मे दर्ज किया जाना न्यायोचित है। इसी अनुसार वादीगण का दावा डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाता है। भूमि ख0न0 477/969 रकबा 0.40 है0, ख0न0 491

उप जिला कलेक्टर एवं ... गंगापुर सिटी (स.मा.)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

रकबा 1.41 है0, ख0न0 492 रकबा 0.25 है0, ख0न0 493 रकबा 0.63 है0, ख0न0 748 रकबा 0.32 है0, ख0न0 749 रकबा 0.28 है0, ख0न0 477/952 रकबा 0.50 है0, ख0न0 743 रकबा 1.50 है0, ख0न0 744/955 रकबा 0.25 है0, ख0न0 745 रकबा 2.30 है0, ख0न0 747/954 रकबा 0.27 है0, ख0न0 749/953 रकबा 0.45 है0, ख0न0 749/964 रकबा 0.12 है0, ख0न0 750 रकबा 0.79 है0, ख0न0 742 रकबा 1.55 है0 एवं ख0न0 742/921 रकबा 0.02 है0, ख0न0 749 रकबा 0.28 है0 कुल रकबा 11.32 है0 ग्राम छाबा मे वादी संख्या 2 व 3 को प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व वादी संख्या 1 के साथ भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त भूमि में वादी संख्या 1, 2, 3 तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 का 1/24 – 1/24 हिस्सा दर्ज किया जावे। रहन सम्बधित इन्द्राज यथावत रहेगें। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25-11-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स.मा.)

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

बअ अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. श्रीमती दिनली देवी पत्नी स्व0 रणजीत सिंह, जाति राजपूत निवासी छाबा तह0 गंगापुर सिटी
2. श्रीमती भौरी बाई पत्नी जगदीश सिंह पुत्री स्व0 रणजीत सिंह, जाति राजपूत निवासी लावडी का बास तह0 लालसोट
3. श्रीमती सुनीता पत्नी विजेन्द्र सिह पुत्री स्व0 रणजीत सिंह, जाति राजपूत निवासी बाढ विचला तह0 गंगापुर सिटी ——वादीगण

बनाम

1. नरेंद्रसिंह पुत्र स्व0 रणजीत सिंह, जाति राजपूत निवासी छाबा तह0 गंगापुर सिटी
2. सुल्तानसिंह पुत्र स्व0 रणजीत सिंह, जाति राजपूत निवासी छाबा तह0 गंगापुर सिटी
3. सुनीलसिंह पुत्र स्व0 रणजीत सिंह, जाति राजपूत निवासी छाबा तह0 गंगापुर सिटी
4. रणवीरसिंह पुत्र चौरसिंह (चंवरसिंह), जाति राजपूत निवासी छाबा तह0 गंगापुर सिटी
5. बलबीरसिंह पुत्र चौरसिंह (चंवरसिंह), जाति राजपूत निवासी छाबा तह0 गंगापुर सिटी
6. हरिसिंह पुत्र पुत्र चौरसिंह (चंवरसिंह), जाति राजपूत निवासी छाबा तह0 गंगापुर सिटी
7. उपपंजीयन अधिकारी तहसीलदार गंगापुर सिटी
8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –88/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री कुश मंगल, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री राजेश कुमार वर्मा, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाता है। भूमि ख0न0 477/969 रकबा 0.40 है0, ख0न0 491 रकबा 1.41 है0, ख0न0 492 रकबा 0.25 है0, ख0न0 493 रकबा 0.63 है0, ख0न0 748 रकबा 0.32 है0, ख0न0 749 रकबा 0.28 है0, ख0न0 477/952 रकबा 0.50 है0, ख0न0 743 रकबा 1.50 है0, ख0न0 744/955 रकबा 0.25 है0, ख0न0 745 रकबा 2.30 है0, ख0न0 747/954 रकबा 0.27 है0, ख0न0 749/953 रकबा 0.45 है0, ख0न0 749/964 रकबा 0.12 है0, ख0न0 750 रकबा 0.79 है0, ख0न0 742

(मुहर: उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (स.मा.))

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

विमला देवी वगैरा बनाम भंवरसिंह वगैरा, दावा

रकबा 1.55 है0 एवं ख0न0 742/921 रकबा 0.02 है0, ख0न0 749 रकबा 0.28 है0 कुल रकबा 11.32 है0 ग्राम छाबा मे वादी संख्या 2 व 3 को प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व वादी संख्या 1 के साथ भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त भूमि मे वादी संख्या 1, 2, 3 तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 का 1/24 – 1/24 हिस्सा दर्ज किया जावे। रहन सम्बधित इन्द्राज यथावत रहेगें। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25-11-2019 को जारी किया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.12.03 15:53:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: